14-08-2014

आवेदिका को बार—बार पुकार लगायी गयी। आवेदिका उपस्थित नहीं ना ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदिका द्वारा विगत कई पेशी तारीखों से तलवाना अदा करने हेतु आदेशित किया जा रहा है, किन्तु तलवाना भी पेश नहीं किया जा रहा है। अतः आवेदिका की अदम पैरवी एवं तलवाना अदा नहीं करने की दशा में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125(3) सी.आर.पी.सी. को अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज हो। प्रकरण नम्बर से निरस्त किया जावे।

प्रकरण विधिवत् अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

